

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 13.2.18

संख्या-12/प0-1008/2010-सा0प0-2360 / अररिया, कैमूर एवं जहानाबाद जिलों में आयोजित उप चुनाव-2018 के मद्देनजर तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है/संबंधित विभाग में सेवायें सौंपी जाती है:-


क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	प्रस्तावित पदस्थापन का पद
1	2	3	4
1	श्री नीरज नारायण पांडेय, 1173/11, झारखंड	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया	वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर
2	श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, 1294/11, गया	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, अररिया,	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, कैमूर
3	श्री नरेन्द्र मोहन झा, 753/11, मधुबनी	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद	वरीय उप समाहर्ता, सारण
4	श्री संजय सिंह, 1222/11, नई दिल्ली	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद,	सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
5	श्री उमाकान्त पांडेय, 1419/11, कैमूर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद	वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा
6	श्री फते फैयाज, 932/11, अररिया	जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कैमूर,	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद
7	श्री शहनवाज अहमद नियाजी, 1243/11, पटना	वरीय उप समाहर्ता, कैमूर	वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया
8	मो० जियाउर रहमान, 1387/11, सीतामढ़ी	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय (अपने वेतनमान में) ।
9	श्री विनोद कुमार, 697/11, उ०प०	वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी	जिला योजना पदाधिकारी, अररिया
10	श्री मुकेश कुमार 'मुकुल', 1053/11, मुंगेर	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया (अपने वेतनमान में) ।
11	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, 1141/11, गया	वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, अररिया ।

12	श्री ईष्टदेव महादेव, 1191/11, समस्तीपुर	वरीय उप समाहर्ता, रोहतास	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद ।
13	श्री रमेश चन्द्र चौधरी, 614/11, सुपौल	वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा	वरीय उप समाहर्ता, कैमूर।

2. स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के निर्णय में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है ।

3. कंडिका 1 के कमांक-1, 3, 5, 6, 7, 12 एवं 13 पर अंकित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



19.2.18

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-1008/2010-सा0प्र0-²³⁶⁰ / पटना, दिनांक- 19.2.18

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


19.2.18

सरकार के अवर सचिव